ग्रेडेशन समिति, शेखपुरा न्यायमंडल की दिनांक 28.01.2026 को 01:35 बजे आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

आज दिनांक 28.01.2026 को 1:35 बजे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम-सह-अध्यक्ष ग्रेडेशन समिति, शेखपुरा न्यायमंडल के प्रकोष्ठ में ग्रेडेशन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के अन्य 02 सदस्य सम्मिलित हुए।

उपस्थिति :- ग्रेडेशन समिति के तीनों सदस्य।

प्रस्ताव :- शेखपुरा न्यायमंडल में कार्यरत तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग के समस्त कर्मियों का औपबंधिक ग्रेडेशन सूची तैयार करने के उपरांत औपबंधिक रूप से अनुमोदित करने के संबंध में।

कार्यवाही

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम-सह-अध्यक्ष ग्रेडेशन समिति, शेखपुरा के द्वारा किया गया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जो निम्नवत है :-

कंडिका-01 :- लेखापाल-सह-सिविल सिरिस्तेदार, क्रिमिनल सिरिस्तेदार तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा के द्वारा शेखपुरा न्यायमंडल में कार्यरत तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग के समस्त कर्मियों का दिनांक 20.12.2025 को प्रकाशित औपबंधिक ग्रेडेशन सूची पर 19 कर्मियों के प्राप्त आपत्ति आवेदन को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कंडिका-02 :- ग्रेडेशन समिति, शेखपुरा न्यायमंडल के सदस्यों द्वारा 17 लिपिक एवं 02 कार्यालय परिचारी के द्वारा औपबंधिक ग्रेडेशन सूची में संशोधन हेतु दिए गए आवेदन पत्रों का अवलोकन किया गया।

श्री सत्येन्द्र कुमार, लिपिक, श्री सत्यनारायण प्रसाद, लिपिक, श्री अभिषेक मंगल मूर्ति, लिपिक एवं मो0 तनवीर, कार्यालय परिचारी एवं मो0 आफ्ताब आलम, कार्यालय परिचारी के द्वारा दिए गए आपत्ति आवेदन जो उनके पारस्परिक स्थानांतरण के कारण उन्हें वरीयता सूची में नीचे रखे जाने से संबंधित है, के संबंध में कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त के संदर्भ में नियमावली एवं सरकारी परिपत्रों को 10 दिनों के अंदर समिति के समक्ष दाखिल करें।

श्री रंजन कुमार, लिपिक एवं चार अन्य कर्मी (समेकित रूप से), कुमारी ज्योति सिन्हा, लिपिक, राकेश कुमार-।।, लिपिक, मनीष कुमार, लिपिक, जलज कुमार, लिपिक, अनिकेत कुमार, लिपिक, अभिमन्यु कुमार, लिपिक, पूजा कुमारी, लिपिक, धर्मेन्द्र कुमार, लिपिक, बिरेन्द्र कुमार, लिपिक अनिल कुमार, लिपिक, रंजन कुमार, लिपिक, अमित कुमार, लिपिक एवं आदित्य कुमार, लिपिक कुल 14 कर्मियों द्वारा दिए गए आपत्ति आवेदन जो वरीयता सूची में उन्हें नीचे रखे जाने तथा बयान लेखक-सह-टंकक-सह-लिपिक की वरीयता सूची लिपिक संवर्ग के साथ बनायी गयी है को अलग तैयार

करने से संबंधित है, के संबंध में आपत्तिकर्ताओं को यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त के संदर्भ में नियमावली एवं सरकारी परिपत्रों को 10 दिनों के अंदर समिति के समक्ष दाखिल करें।

कार्यालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि रोस्टर के संबंध में नियमावली 10 दिनों के अंदर समिति के समक्ष दाखिल करें।

आज की बैठक की कार्यवाही धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

28/1/26

(कुमार अविनाश)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
-सह-अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो,
-सह-सदस्य संख्या-2,
ग्रेडेशन समिति, शेखपुरा न्यायमंडल।

28/01/26

(राकेश कुमार रजक)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
-सह-अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद
-सह-सदस्य संख्या-1,
ग्रेडेशन समिति, शेखपुरा न्यायमंडल।

28.01.2026

(मधु अग्रवाल)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह-अध्यक्ष, ग्रेडेशन समिति,
शेखपुरा न्यायमंडल